ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-2, No.-2, **PP-145-149**,YEAR-2015

अनुसूचित जातियों की सामाजिक,आर्थिक स्थिति का अध्ययन

❑ **डॉ0 राजेश त्रिपाठी**
❑❑ **रेनू देवी**

सारांश– *हमारे देश में अनुसूचित जाति को समाज की जाति व्यवस्था के क्रम में सबसे निम्न क्रम में रखा गया। उसी के अनुसार उस जाति को समाज में सम्मान एंव सुविधाएं भी प्राप्त हैं इन जातियों का स्थान आरक्षण व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून बनाकर इसको समाज की मुख्य धारा में जोडने का प्रयास किया जा रहा हैं।*

प्रस्तुत पेपर में इस जाति की वर्तमान समय की वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण विभिन्न आधारों पर शोध के माध्यम से किया गया। इनमें लिंग,व्यवसाय,शैक्षिक स्तर,मांसाहारी भोजन,संचार के साधन नशा सेवनकर्त्ता आदि विषयों पर स्थिति का वर्णन किया गया।

भारतीय समाज जाति पर आधारित स्तरीकरण वाला समाज है,इस ऊँच–नीच अथवा संस्तरण में सबसे निम्न स्थान अस्पृश्य जातियों का रहा है। इन पर अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक निर्योग्ताएँ लगी हुई थीं। हिन्दू धर्म के अनुसार 'उच्च' जाति का कोई व्यक्ति किसी भी अस्पृश्य के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध नही रख सकता था।

भारत में अस्पृश्य जातियों को अनेक नामों से पुकारा जाता हैं। जैसे– अछूत,दलित,हरिजन आदि इन्हें छूने से उच्च जातियों के व्याक्ति अपने को अपवित्र मानने लगते थे, और पुनःपवित्र होने के लिये सांस्कारिक शुद्धि करते थे। कुछ अछूत अस्पृश्य थे तो कुछ अदर्शनीय थे अर्थात् जिनको देखने मात्र से व्याक्ति अपने को कलुषित मानने लगते थे, और कुछ अप्रवेश थे,जिन्हें कुछ निश्चित स्थानों पर प्रवेश की मनाही थी। इन्हें बहिष्कृत जाति भी कहा जाता रहा है।

गाँधी जी के प्रयासो से इन्हें 'हरिजन' कहा जाने लगा सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से हेय जातियों के उत्थान तथा उन्हें कुछ विशेष सुविधा प्रदान करने के लिये 1935 के एक्ट में ऐसी जातियों की एक सूची बनाई गई। इस सूची में सम्मिलित सभी जातियों को बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया।

अनुसूचित जातियों के लोग सदियों से आर्थिक दृष्टि से निम्नतम् कार्यो में लगे हुये थे अस्पृश्यों पर व्यावसायिक निर्योग्यता लादी जाती थी अर्थात् जो उनके पूर्वज काम कर रहे होते थे, उन्हें उसी कार्य को करने के लिये बाध्य किया जाता था। अनुसूचित जातियों की सम्पत्ति सम्बन्धी निर्योग्यता को मान्यता दी गई थी। अस्पृश्यों के साथ भरपेट भोजन की भी सुविधा नहीं थी, उनका अर्थिक शोषण होता था। इनकी सम्पत्ति सम्बन्धी निर्योग्यता से ही दुःखी होकर आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आन्दोलन चलाया।

भारत की परम्परागत संरचना से उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं में निम्न जातियों का अमानवीय शोषण एक लम्बे समय तक हमारी गम्भीर समस्या रही हैं,जो हिन्दू समाज का अंग होने के बाद भी हिन्दुओं के कुछ धार्मिक ग्रन्थों के दिये गये निर्देशों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे है। भारत की जनसंख्या का आधे से भी अधिक भाग उन जातियों से सम्बन्धित रहा जिन्हे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में उच्च जातियों की तुलना में बहुत कम अधिकार दिये गये हैं।

अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिये सरकार ने पहले कदम के रुप में अस्पृश्यता अपराध

❑ एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), ग्रामीण प्रबन्धन, विभाग चित्रकूट सतना (म0प्र0) भारत
❑❑ शोध छात्रा (समाजकार्य) म0गॉ0चि0ग्रा0वि0वि0 चित्रकूट सतना (म0प्र0) भारत

अधिनियम,1995 पास किया और अस्पृश्यता से सम्बन्धित सभी तरह के आचरणेां को अपराध घोषित कर दिया गया।

संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता से सम्बंधित किसी भी तरह के आचरण का उन्मूलन कर दिया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों की शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक हितो की रक्षा से सम्बन्धित प्रावधान किया गया हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में संघ या राज्य के कार्यो से संबन्धित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियॉ करने में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एवं 332 में कृमशः लोकसभा तथा राज्यसभा में सीटों की आरक्षण सम्बंधित व्यवस्था की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 146 एवं 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया हैं।

वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से 79 और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित रखी गई है।

अनुच्छेद 341 के द्वितीय खण्ड में संसद को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति द्वारा विज्ञापित इस सूची में
किसी जाति,प्रजाति या जनजातियों के लिए सुरक्षित रखी गई है।

आज भारत में सभी के विकास तथा अनुसूचित जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिये अनेक योजनाऍ केन्द्र एवं राज्य स्तर पर चलाई जा रही है इन योजनाओं को चलाने का उद्देश्य यह है कि प्राचीन काल से ही अनुसूचित जातियों का अमानवीय शोषण एवं अन्याय हुआ हैं। जिसके परिणाम स्वरुप वे वर्तमान में पिछडे हुए है पिछडेपन के कारण समाज की मुख्य धारा में जुडने के लिए विशिष्ट प्रकार का संरक्षरण एवं संर्वद्धन तथा गैरसरकारी संगठन द्वारा भी अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन आज भी ग्रामों में अनुसूचित जातियों को एक कलंक के रुप में देखते है और धर्म की आड में फलने वाली परम्पराओं की जडे इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें समूल नष्ट करने में कुछ समय लगता है यही कारण है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अनुसूचित जातियों की समस्याएँ आज भी बनी हुई है। जैसे– सामाजिक विभेद की, उच्च जातियों द्वारा शोषण, हरिजन महाजनों द्वारा शोषण, आन्तरिक असमानता, अर्न्तजातीय तनाव, अशिक्षा एवं नशीले पदार्थो की समस्या ।

हमारे भारतीय समाज में जहाँ अनेक जातियों एवं धर्मों के लोग निवास करते है। वही अनुसूचित जातियों को भी समानता के साथ जीने का अधिकार है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये ''अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति '' के बारे में गहराई से अध्ययन की अवश्यकता हैं। जिससे इसके प्रभाव व परिणाम की दिशा के प्रति सचेत एवं जागरुक किया जा सकेगा प्रस्तुत अध्ययन इसी में किया गया एक प्रयास है।

उद्देश्य –

1. अनुसूचित जाति के लोगों की सामुदायिक संरचना का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जाति के परिवारों में पारम्परिक व्यवसायों की पहचान करना।
3. अनुसूचित जाति के लोगों में रोजगार के अवसरों की सम्भावनाओं तथा उन सामाजिक परम्पराओं की पहचान जो वर्तमान में अप्रासांगिक है।
4. उन कारणों का पता लगाना जो अनावश्यक व्यय हेतु उत्तरदायी हैं।
5. अनुसूचित जाति में प्रवजन के कारणों का पता लगाना।

अध्ययन क्षेत्र –इस अध्ययन हेतु चित्रकूट जिले के नयागाँव(हरिजन बस्ती) का चयन किया गया है। जिला मुख्यालय से लगभग इसकी दूरी 80 किलो मीटर है।

शोध पद्धति – इस अध्ययन हेतु चित्रकूट जिले के नयागाँव में हरिजन बस्ती के अनुसूचित जाति के 50 उत्तरदाताओं का चयन दैव निर्दशन द्वारा किया गया।

सारणी

सारणी क्रमांक– 01
लिंग के अधार पर वर्गीकरण

क्र0स0	विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	महिला	19	38
2	पुरुष	31	62
3	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 50 उत्तरदाताओं में से 62 प्रतिशत पुरुष एवं 38 प्रतिशत महिलाओं को अध्ययन हेतु चयनित किया गया हैं।

सारणी क्रमांक –02
व्यवसाय के अधार पर वर्गीकरण

क0स0	विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	मजदूरी	15	30
2	कृषि एवं कृषि मजदूरी	23	46
3	नौकरी	12	24
4	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है अनुसूचित जातियों में आज भी सर्वाधिक व्यवसाय मजदूरी एवं कृषि मजदूरी पाया गया हैं।

सारणी क्रमांक –03
शैक्षिक स्तर के अधार पर वर्गीकरण

क्र0स0	विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	निरक्षर	23	46
2	साक्षर	9	18
3	प्राइमरी	6	12
4	हाईस्कूल	5	10
5	इण्टरमीडिएट	3	6
6	स्नातक	3	6
7	परास्नातक	2	4
8	अन्य (बी.एड.)	1	2
9	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों में आज भी सर्वाधिक प्रतिशत निरक्षर लोगो का है।

सारणी क्रमांक–04
मांसाहारी भोजन के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	हॉ	30	60
2	नही	20	40
3	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों में से वर्तमान समय में भी सर्वाधिक लोग मांसाहारी भोजन करते हैं।

सारणी क्रमांक –06
संचार के साधनो के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	मोबाइल	34	68
2	टी.वी. / डी.वी.डी.	13	26
3	रेडियों(अन्य)	3	6
4	योग	50	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लोग आधुनिक संचार के माध्यमों में मोबाइल का उपयोग करते पाये गये।

सारणी क्रमांक –06
नशा सेवनकर्ता के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	विकल्प	उत्तरदाता	प्रातिशत
1	शराब	15	30
2	बीडी,सिगरेट,तम्बाकू	30	60
3	गॉजा	3	6
4	कोई नशा नही	2	4
5	योग	50	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जातियों में महिलाओं और पुरुषो को मिलाकर सर्वाधिक 96 प्रतिशत लोग नशा का सेवन करते पाये गये

निष्कर्ष एवं सुझाव –

1 – वर्तमान समय में भी 46 प्रतिशत अनुसूचित जातियॉ निरक्षर हैं।

2 – अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक 76 प्रतिशत लोग मजदूरी और कृषि मजदूरी करते पाये गये।

3 – अनुसूचित जातियों में वर्तमान में 60 प्रतिशत लोग मांसाहारी भोजन करते पाये गये।

4 – ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अनुसूचित जातियों के साथ 78 प्रतिशत भेदभाव किया जाता हैं।

5 – सर्वाधिक 96 प्रतिशत अनुसूचित जातियॉ नशा में शराब एंव बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, गॉजा का प्रयोग करते हैं।

6 – अनुसूचित जातियों में 56 प्रतिशत लोग अपने अधिकारो के प्रति जागरुक है।

7 – अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास विधवा, वृद्धा पेंशन कार्ड बना हैं।

8 – अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लोगो के द्वारा मोबाइल का उपयोग किया जा रहा हैं।

सुझाव –

1 – अनुसूचित जातियों में ज्यादातर लोगो के पास कृषि योग्य भूमि नही हैं अतः उनके जीवन यापन के लिये कृषि योग्य भूमि की अवश्यकता हैं।

2 – अनुसूचित जातियों में नवीनतम् व्यवसाय एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन की अवश्यकता है।

3 – कृषि उत्पादकता को बढाने के लिये कृषि वैज्ञानिको के द्वारा प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन की अवश्यकता हैं।

4 – अनुसूचित जातियों में नशा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुक करने की अवश्यकता हैं।

5 – ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने की अवश्कता है।

6 – अनुसूचित जातियों के लोगो में शिक्षा के प्रति जागरुक करने की अवश्यकता है।

7 – अनुसूचित जातियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और जागरुक करने की

अवश्यकता हैं।

8 – अनुसूचित जातियों की महिलाओं को पुरुषों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाने की अवश्यकता हैं।

9 – अनुसूचित जाति के लोगो में स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति उन्हें सावधान एंव जागरुक करने की अवश्यकता हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओझा. एन.–भारत की सामाजिक समस्याएँ,क्रॉनिकल पब्लिकेशन ,2008, पृ.क. 229, 223
2. अग्रवाल गोपाल कृष्ण–भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएँ, साहित्य भवन, 2006, पृ.कृ. 88,91
3. आहूजा राम–सामाजिक समस्याएँ,राव पब्लिकेशन, 2007, पृ.क.160
4. अग्रवाल एवं दीक्षित–भारत में समाज कल्याण एंव अधिनियम, एस.बी.पी.डी. पब्लिसिंग हाउस, 2009, पृ.क. 52,53
5. गुप्ता एम. एल. ,शर्मा डी. डी.–भारतीय सामाजिक समस्यायें, साहित्य भवन, पब्लिकेशन, 1988, पृ.क. 282, 283,284
6. मुकर्जी रवीन्द्रनाथ–सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन 2000 पृ.क. 374
7. पाण्डेय चन्द्रभूषण–सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी बी. एस. शर्मा एण्ड ब्रदर्स,2006, पृ.क. 10–16 पत्रिका–'' अब भी पहचाने गांधी को'' लेखक शरद कुमार साधक।

*****